>

Title: Need to streamline the procedure for providing caste certificates to the persons belonging to SC/ST in the Chandigarh Union Territory.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ से संबंधित एक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चंडीगढ़ भारत का एक केन्द्र शासित राज्य है तथा वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र पिछले तीस सालों से जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने एक शर्त लगा दी है कि उन्हीं लोगों को एससी, एसटी का सेर्टिफिकेट जारी हो सकता है जो 1966 से पूर्व का कोई प्रमाण पत्र पेश करेंगे कि हम यहां के रैजिडैंट थे। मसलन अगर उनके पिताजी का प्रमाण पत्र बना हुआ है तो लड़के का भी बन जाएगा और अगर पिताजी का नहीं बना हुआ है, पिताजी अनपढ़ थे और नहीं बनाया तो लड़के का नहीं बनेगा। लड़का पढ़ गया तो उसका क्या कसूर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे न स्कॉलरशिप मिल रही है, न रिक्रूटमैंट में कोई फायदा हो रहा है। श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य मंत्री भी चंडीगढ़ से आते हैं। पिछले तीस सालों से यह मामला उलझा हुआ है।

मैं पिछली दफा चंडीगढ़ के प्रवास पर था। पार्लियामैंट की कमेटी भी वहां गई हुई थी। मैंने मिलकर भी मांग रखी। पिछले तीस सालों से एक मामला प्रशासनिक कारणों से लंबित है। यह मामला गृह मंत्रालय में पैंडिंग है। मेरी गृह मंत्रालय से मांग है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनके अनुरूप शीघ्रता से निर्णय लिया जाए जिससे चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके और सरकार की योजनाओं के अनुरूप लाभांश मिल सके। यह मसला बहुत पुराना है, यह हल होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।